



पत्रांक 658 /5(2)/SCF/Store/FP/2017-18

दिनांक: 06.09.2023

### गेहूं के भूसे का नीलामी नोटिस


इस संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में लगभग 130 कुंतल गेहूं के भूसे की खुली नीलामी दिनांक: 04.10.2023 को प्रातः 10.30 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी में भाग ले सकते हैं। उपरोक्त मात्रा लगभग है यह कम अथवा ज्यादा हो सकती है जिसका आकलन बोली लगाने से पहले करने की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।

गेहूं के भूसे की नीलामी की नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं:--

1. गेहूं के भूसे की खुली नीलामी दिनांक: 04.10.2023 को प्रातः 10.30 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। जो भी बोलीदाता प्रातः 10.30 बजे नीलामी में उपस्थित होंगे उन्हें ही बोली लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रातः 11.00 बजे के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. गेहूं के भूसे की खुली नीलामी जैसा है जहां है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात गेहूं के भूसे की मात्रा एवं गुणवत्ता से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छुक बोलीदाता गेहूं के भूसे का निरीक्षण कार्य दिवस में दिनांक 08.09.2023 से 03.10.2023 तक 10:00 बजे से 4:00 के बीच कर सकते हैं।
4. बोलीदाता को नीलामी कक्ष में प्रवेश से पहले ई0एम0डी की धनराशि रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की निदेशक (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून) के पक्ष हो अथवा नकद रूप में जमा कराना होगा। ई0एम0डी की धनराशि जमा नहीं कराने की अवस्था में नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ वह अपने आधार कार्ड एवं बैंक की पास बुक की प्रति भी प्रस्तुत करेंगे।
5. एक ई0एम0डी की धनराशि के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी। बोली के पश्चात असफल बोली दाता की ई0एम0डी0 की राशि वापस कर दी जायेगी।
6. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा। तथा नीलामी उनके पक्ष में अनुमोदित की जायेगी।
7. सफल बोलीदाता की ई0एम0डी संस्थान में धरोहर राशि के रूप में जमा कर लिया जायेगा जिसे पूर्ण रूप से भूसा उठाने की अन्तिम तिथि के 60 दिवस के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा। ई0एम0डी0 की धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली के तुरन्त पश्चात उसी दिन व शेष 75 प्रतिशत धनराशि सक्षम अधिकारी महोदय के अनुमोदन के पश्चात् सात दिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट /पी0ओ0एस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से संस्थान के खाते में जमा कराना होगा।
9. सफल बोलीदाता को शेष धनराशि दी गयी तिथि के भीतर जमा नहीं कराने की अवस्था में उनके पक्ष में अनुमोदित नीलामी रद्द मानी जायेगी तथा उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

जी.पि.दशरथ  
06/09/2023

- सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।
10. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात् नीलामी किये गये गेहूँ के भूसे को 30 दिवस के अन्दर अनुसंधान प्रक्षेत्र के बाहर ले जाना होगा, गेहूँ के भूसे को उठाने की अन्तिम तिथि नीलामी ठेका आवंटन आदेश में लिख दी जायेगी। तथा नीलामी के पश्चात् नीलाम किये गये गेहूँ के भूसे को बाहर ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
  11. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक/प्रक्षेत्र सुरक्षा अधिकारी को जमा करानी होगी।
  12. सफल बोलीदाता द्वारा दिये गये समय में गेहूँ का भूसा न उठाने पर कुल नीलामी राशि के आधा ( $\frac{1}{2}$ ) प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पेनेल्टी /गोदाम किराये के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा तथा पेनेल्टी भुगतान के साथ माल उठाने की अधिकतम सीमा 10 दिवस होगी, इसके बाद भी यदि बोलीदाता माल उठाने में असफल रहता है तब ऐसी स्थिति में इस नीलामी को रद्द कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी एवं शेष बचे माल यदि कोई रहा हो को भी जब्त कर लिया जायेगा। जिसके लिए बोलीदाता स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
  13. सफल बोलीदाता द्वारा भूसे को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य, कार्य-दिवस में प्रातः 09-00 बजे से 05-00 बजे के बीच ही कराना होगा।
  14. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा माल को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
  15. नीलाम किये गये भूसे के प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने के दौरान सफल बोलीदाता अथवा इसके कर्मचारी अथवा वाहन को होने वाले किसी भी क्षति की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
  16. यदि नीलामी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस में उसी समय आयोजित की जायेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।
  17. निदेशक, भा0कृ0अ0प0-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

  
प्रक्षेत्र अधीक्षक 06/09/2023

अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई